निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (श0)
(सं0 पटना 525) पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

6 मई 2013

सं0 22 / नि0सि0(दर0)–16–33 / 2007 / 520—श्री सुजय चन्द्र किशोर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल अंधराठाढ़ी द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में झंझारपुर शाखा नहर के 23.50 वि0दू0 पर निर्मित अतिरिक्त सी0 डी0 संरचना के निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराने एवं निर्माण के कुछ ही वर्ष में संरचना ध्वस्त हो जाने इत्यादि प्रथम द्रष्टया आरोपों के लिए सरकार द्वारा उन्हें विभागीय अधिसूचना सं0–149 दिनांक 8.2.08 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 273 दिनांक 26.3.08 द्वारा श्री सुजय चन्द्र किशोर, सहायक अभियन्ता के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विभागीय कार्यवाही में जांच पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त निम्नांकित विन्दुओं पर जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए श्री किशोर से कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गयाः–

(1) जांच पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि नहर तल के उपर पी0 सी0 सी0 कार्य कराया गया है। परन्तु इसके उपर मिट्टी का कभर नहीं पाया गया। ऐसा लगता है कि मिट्टी का कार्य कराने के लिए मिट्टी हटाना आवश्यक था और मरम्मति कार्य कराने के बाद मिट्टी कभर नहीं किया गया। जांच पदाधिकारी द्वारा संभावना व्यक्ति की गयी है, कोई ठोस साक्ष्य / आधार नहीं दिया गया है।

(2) दूसरे आरोप के संबंध में जांच पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि नहर तल के बलुआही मिट्टी का इरोजन संभव है। नहर फिलिंग में होने के कारण कमजोर बलूआही मिट्टी धीरे धीरे इरोज कर पाईप के नीचे का पी0 सी0 सी0 लटक गया होगा, जिससे पाईप का कॉलर ज्वाईंट खुल गया होगा। इसमें भी जांच पदाधिकारी द्वारा पी0 सी0 सी0 लटकने एवं कॉलर ज्वाईंट खुलने के कारणों के संभावनाओं पर बताया गया है। कोई ठोस साक्ष्य एवं आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त असहमति के विन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 524 दिनांक 10.7.08 द्वारा श्री सुजय चन्द्र किशोर से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। श्री किशोर से प्राप्त कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक

समीक्षोपरान्त आरोप प्रमाणित पाया गया। फलतः श्री किशोर को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 711 दिनांक 27.8.08 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गयाः–

1. निन्दन वर्ष 2002–03

2. पॉच वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3. निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि पेंशन के प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी।

उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री किशोर द्वारा अपील अभ्यावेदन (पुनर्विलोकन अर्जी) समर्पित की गयी जिसके मुख्य विन्दु निम्नवत् हैः–

1. जांच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में मेरे उपर कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। परन्तु इसके बावजूद आरोप के प्रमाणित होने का आधार एवं कारण उल्लेख किये बिना ही दण्ड संसूचित किया गया हैं

2. झंझारपुर शाखा नहर के 23.53 वि0 दू0 पर सी0 डी0 का निर्माण प्राक्कलन के अनुरूप कराया गया जो वर्ष 2002–03 में पूर्ण हो गया था। उड़नदस्ता के जांच प्रतिवेदन में भी कार्य के प्राक्कलन के अनुरूप कराये जाने की पृष्टि की गयी है।

3. नहर तल के पी0 सी0 सी0 कार्य के उपर मिट्टी कभर नहीं पाये जाने के मामले से किसी प्रकार से संबंधित नहीं हूॅ क्योंकि नहर बेड में पी0 सी0 सी0 कार्य की मरम्मति की गयी थी जिससे मैं संबंधित नहीं रहा हूॅ। उड़नदस्ता के जांच प्रतिवेदन में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। अतः उक्त आरोप लागू नहीं होता है।

4. उड़नदस्ता अंचल के द्वारा माह मई 2007 में जांच की गयी एवं संरचना के निकट 2'0'' पानी लगा हुआ मिला। जिससे संरचना के निकट इरोजन की पुष्टि होती है। वर्ष 2004 के जुलाई माह में आई अप्रत्याशित भीषण बाढ़ की पुष्टि बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनेटरिंग अंचल, पटना की बाढ़ पुस्तिका के अवलोकन से भी होती है। जिसमें माह जुलाई में कमला बेसिन के जयनगर क्षेत्र में सर्वाधिक 666 मि0 मी0 वर्षा रिकार्ड किया गया है। बलुआही मिट्टी के इरोजन के फलस्वरूप संरचना के आंशिक क्षतिग्रस्त होने के कारण बालर ज्वाइंट खुल गया। उड़नदस्ता के द्वारा भी जांच प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया गया है।

5. पाइप ज्वाईट का इरोजन होने पर टूटान पाइप के बनावट के कारण भी होता है। वर्तमान में कॉलर नहीं देकर एक पाईप को दूसरे पाईप में सटाकर ढलाई किया जाता है। यह विधि होरिजैंटल भाग में तो सही है। परन्तु इनक्लाइड एवं वर्टिकल पाइप के इस प्रकार जोड़ने में वहॉ 3'' का गैप रह जाता है। 1:3:6 की ढ़लाई भी किसी प्रकार के वाटर लिकेज को रोकने में सक्षम नहीं है। जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन में भी ''इस तरह की संरचना के पी0 सी0 सी0 ज्वाइंट गुणवत्ता रहने के बावजूद हट सकता है'' की टिप्पणी जांच पदाधिकारी द्वारा दर्ज की गयी है।

6. जांच पदाधिकारी जो कि मुख्य अभियन्ता थे के द्वारा कोशी नहर क्षेत्र में पूर्व में निर्मित दो संरचना के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी जांच की गयी। जांच में संरचना के रूपांकण एवं गुणवत्ता में पाये जाने के बावजूद नीव के नीचे लूज बालू एवं बालू के साथ पानी का बहाव पाया गया था। जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2004 की भयावह बाढ़ में नहर में बाढ़ का पानी प्रवेश करने एवं संरचना नहर तल इरोजन के कारण ज्वाइंट क्षतिग्रस्त हुआ। संचालन पदाधिकारी के द्वारा भी उक्त संरचना पाइप साइफन के बदले आर0 सी0 सी0 भेन्ट का निर्माण कराये जाने पर कामयाब रहने की अनुशंसा की गयी है।

श्री किशोर द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के पुनविलोकन अर्जी मानते हुए समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं पाया गया कि अपील अभ्यावेदन (पुनविलोन अर्जी) में पुनः उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में प्रस्तुत किया गया था। कमला बलान बेसिन में तीन वर्षो में अत्यधिक वर्षापात की बात कही गयी जिसे विभागीय समीक्षा के क्रम में अमान्य कर दिया गया था। साथ ही विषयांकित सी0 डी0 संरचना का रूपांकण समुचित प्रवाह को संज्ञान में लेते हुए ही किया गया था।

अतः सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री सुजय चन्द्र किशोर, सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुजय चन्द्र किशोर, सहायक अभियन्ता के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 525-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in